पत्रांक–योजना बजट–25/2012 /प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–......../12/2015

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक राजगीर वन विश्रामागार के समीप एक अतिरिक्त उच्चस्तरीय विश्रामागार के निर्माण हेतु भवन योजना अन्तर्गत कुल रूपये 357.60 लाख (तीन करोड़ संतावन लाख साठ हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु रूपये 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये मात्र) की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक राजगीर वन विश्रामागार के समीप एक अतिरिक्त उच्चस्तरीय विश्रामागार के निर्माण हेतु भवन योजना अन्तर्गत कुल रूपये 357.60 लाख (तीन करोड़ संतावन लाख साठ हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु रूपये 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसका निर्माण कार्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार द्वारा किया जायेगा जो कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार द्वारा तकनीकि अनुमोदित पाक्कलन (संलग्न परिशिष्ट–1) के अनुरूप किया जाना है।

राजगीर एक विश्वस्तीय प्राचीन धार्मिक स्थल है। जहाँ राज्य एवं देश–विदेश के लोग शैलानी/परिभ्रमण में आते हैं, जिनके विश्राम का यथोचित प्रबंध उपलब्ध कराने एवं वन विभाग तथा अन्य विभागों के पदाधिकारियों के परिभ्रमण काल में उनके द्वारा धार्मिक एवं अन्य स्थलों का अध्ययन करते हुए विकास की योजनाओं का सदैव संचालन सुलभ हो सके इस उदेश्य की पूर्ति हेतु यह स्वीकृति दी गई है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–070–संचार तथ भवन, मांग संख्या–19 उप शीर्ष–0102–भवन, विपत्र कोड–पी4406010700102 के विषय शीर्ष–27 01–लघु कार्य के अन्तर्गत उपलबध उपबंधित राशि से की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

4. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक–27.11.2015 की कार्यवाही ज्ञापांक–3621 दिनांक–27.11.2015 द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति अनुशंसा एवं संचिका के पृ०–42/टि० पर दिनांक–07.12.2015 को प्रस्ताव में विभागीय मंत्री की स्वीकृति तथा संचिका के पृ०–44/टि० दिनांक–08.12.2015 को प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहर, पटना द्वारा किया जायेगा।

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो स्वीकृत्यादेश में परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसकी जिम्मेवारी इस कार्य के कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की होगी।

2

9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

10. कार्य स्थल पर आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह० / –
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–25 / 2012 ३७०९ / प०व० पटना–15, दिनांक :–08 / 12 / 2015

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना / वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार / आई०टी० मैनेजर / बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/12/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट - 1

249

K A P O O R   A N D   A S S O C I A T E S

[illegible] Kapoor B.Arch, Chd. M.Arch. IIT-KGP, M.Arch & U.D Washington Univ. USA
[illegible]nore Kapoor B.Arch(Hons) chd. M.Arch. Univ. of Illinois, USA
[illegible]ta Kapoor B.Arch (Hons) Chandigarh
[illegible]pama Kapoor B.Arch, Chandigarh

Architects, Engineers, Computer-Aided Design
100B, Patliputra Colony, Near Notre Dame Academy
Opposite P&M Mall, Patna-800 013
Tel: 0612-2267175, Fax: 0612-2275624
Email contact@kapoors.biz

May 19th, 2014

REF: IDA/0767/2014

PLINTH AREA RATE
ADDITIONAL FOREST REST HOUSE RAJGIR
for Infrastructure Development Authority

BASED ON CPWD P.A.R 2012 / M.R

SL.NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
I	Total Area Ground Floor = 368.00 Sq.M First Floor = 368.00 Sq.M Mumty Floor = 103.00 Sq.M Total = 839.00 Sq.M				
1.0(A)	RCC FRAMED STRUCTURE				
1.1(A)	RCC framed structure upto six storeys				
1.1.1(A)	Floor ht. 3.35 mtr.	Sq.M.	839.00	23500.00	19716500.00
1.2	EXTRAS FOR				
1.2.8	Resisting Earthquake forces	Sq.M	839.00	1140.00	956460.00
	TOTAL				20672960.00
3	SERVICES				2067296.00
3.1	Internal water supply & sanitary installations @10%				1033648.00
3.2	External service connections @5%				2584120.00
3.3	Internal electric installations @12.5%				
3.6	Extra for:				826918.40
3.6.1	Power wiring and plugs @4%				
3.6.3	Lightening conductors				103364.80
3.6.3.1	Upto 4 storeyed building @ 0.5%				103364.80
3.6.4	Telephone conduits @0.5%				103364.80
3.6.6	Computer conduiting @0.5%				206729.60
3.6.7	Quality assurance @1%				
	SUBTOTAL-I				27701766.40
6	SITE DEVELOPMENT (Plot Area = 3075 Sq.M)				
6.1	Levelling	Sqm	3075.00	95.00	292125.00
6.2	Internal roads & paths	Sqm	3075.00	145.00	445875.00
6.3	Sewer	Sqm	3075.00	110.00	338250.00
6.4	Filter Water Supply				

KAPOOR AND ASSOCIATES PATNA

Jha 8/1/15

1	Distribution lines 100mm dia and below	Sqm	3075.00	80.00	246000.00
6.5	Storm water drains	Sqm	3075.00	85.00	261375.00
6.6	Horticulture Operations	Sqm	3075.00	80.00	246000.00
6.7	Street lighting				
.7.3	With HPSV Lamps	Sqm	3075.00	165.00	507375.00
.7.4	Exit sign board i/c electric signage	Sqm	3075.00	85.00	261375.00
	SUBTOTAL-II				2598375.00
	TOTAL (I+II)				30300141.40

Add cost index for Bihar S.OR based on 01.10.012 ~~01.10.013~~ 1.10 times 3,33,30,155.51

Say 3,33,30,200=0

KAPOOR AND ASSOCIATES PATNA

RAVI KAPOOR
Fellow of the Indian Institute of Architects
Master of Architecture and Urban Design, Washington University, USA
Master of Architecture, Indian Institute of Technology, Kharagpur
Bachelor of Architecture, Chandigarh College of Architecture, Chandigarh

Add Contingency on one crore @1% 1,00000=
Contingency on remaining amount 0.5% 1,16,651.
Add consultancy charge @ 1.64% 5,46,615.21
Add I.D.A. charge @ 5% 16,66,510.4

Total = 3,5759,976
Say 3,57,60000

Notes:-
The rates as per the CPWD P.A.R 2012 have been taken from Annexure-I (Type-Office / College / Hospital)-since the type of building and its superior specifications shall most closely be similar to these uses.

Rukmani 20/5/14. 20/5/14 20/05/014

Technical Approval for the amount of ₹ 3,57,60,000=00 Rupees (Three crore Fifty Seven lakh Sixty thousand and zero paise) only is accorded.

21/05/2014
ARVIND PRASAD SINHA
Executive Engineer (P.D.A.)
Infrastructure Development Authority, Patna

8/1/15